प्रेस नोट
दिनांक 13.06.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–148/24, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सोनू पासवान को ग्राम पुरैना से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.04.2024 को वादिनी रेनू पत्नी राजित राम पासवान ग्राम जसकरन पुरवा सैलोनी डीहा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री की शादी 03 वर्ष पूर्व ग्राम पुरैना थाना परसपुर के रहने वाले सोनू पासवान के साथ की गयी थी। उनकी पुत्री को सोनू पासवान द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया है। प्राप्त तहरीर की आधार पर थाना परसपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त सोनू पासवान को आज दिनांक 22.04.2024 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा ग्राम पुरैना से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सोनू पासवान पुत्र स्वामीनाथ पासवान ग्राम पुरैना थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0सं0–148/24, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 जगपति तिवारी।
02. का0 आनन्द कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 13.06.2024

आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गोष्ठीः–

थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक करने व त्यौहार में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने वालो के विरूद्ध कडी कार्यवाही करने के दिए निर्देशः–

गोण्डा। आज दिनांक 13.06.2024 को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद के राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि त्यौहार रजिस्टर का परिशीलन कर विगत वर्षों में हुये विवाद तथा संवेदनशीलता के आधार पर हॉटस्पाट चिन्हित कर लिया जाय। ऐसे सभी स्थानों का संवेदनशीलता के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भ्रमण कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। किसी भी गैर परम्परागत आयोजन की अनुमति प्रदान न दी जाय। थाने पर उपलब्ध रजिस्टर नं0–08 की प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय। असामाजिक साम्प्रदायिक तत्वों की सूची को अद्यावधिक कर लिया जाये और तदानुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवॉछनीय तत्वों के विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय। खुले स्थानों में कुर्बानी, गैर मुस्लिम क्षेत्रों से खुले रुप में मांस ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि धर्मगुरुओं व सम्भ्रान्त नागरिकों के साथ गोष्ठी अवश्य कर ली जाये। बकरीद का त्यौहार शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाय तथा सार्वजनिक मार्गों को अवरोध कर नमाज पढ़ने हेतु मना किया जाय। सर्राफा मार्केट के आने व जाने वाले महत्वपूर्ण रास्तों पर बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंग की जाए। महोदय द्वारा स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय रहकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचनाओं की जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रभारी मीडिया सेल को अपने निकट पर्यवेक्षण में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए तत्काल उसका प्रभावी खण्डन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जाये एव आवश्यकतानुसार निरोधात्मक/विधिक कार्यवाही की जाय तथा साम्प्रदायिक/हॉटस्पाट्स क्षेत्रों पर पुलिस पिकेट को आवश्यकतानुसार तैनाती की जाए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रज्ञान निरीक्षक सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 13.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी बकरीद त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिला पंचायत सभागार कक्ष में की गयी सेंट्रल पीस कमेटी की बैठकः—

गोण्डा। आज दिनांक 13.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की अध्यक्षता में आगामी त्यौहार बकरीद के दृष्टिगत जिला पंचायत सभागार कक्ष में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक की गयी। मीटिंग में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ—साथ सभी वर्गो के सभ्रांत व्यक्ति व धर्मगुरु सम्मिलित हुए। इस दौरान त्यौहार की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई व संभ्रांत व्यक्तियों/धर्म गुरुओं से सुझाव भी लिए गए एवं अमल में लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा—निर्देश दिए गए। त्यौहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया गया। सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने की अपील की गई साथ ही बताया गया कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस यात्रा नहीं निकाला जाएगा। खुले स्थानों में कुर्बानी नही दी जायेगी तथा नमाज मस्जिद के अन्दर ही पढी जायेगी। त्योहारों में कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। त्यौहार परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। त्योहारों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों पर कठोरतम कार्यवाही की जायगी। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि त्यौहार में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए है पुलिस लोगों की सुरक्षा हेतु सजग एवं कटिबद्ध है, त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन/कार्यक्रम नहीं किए जायेगें। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर/पीए सिस्टम की ध्वनि माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइंस के अनुसार कम कर ली जाए, उसकी ध्वनि संबंधित धार्मिक स्थल के परिसर के बाहर नहीं जाए। महोदय द्वारा बताया गया कि अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है तथा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। महोदय द्वारा नगर पालिका व नगर पंचायत को त्यौहार के दृष्टिगत नालियों की साफ—सफाई व मलबों के उचित निस्तारण की व्यवस्था करने, पानी तथा बिजली की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद के विभिन्न पुलिस/प्रशासनिक अधिकारीगण सहित संभ्रांत व्यक्ति/धर्म गुरु मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।